(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप खंड-(i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं०10/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे),

नई दिल्ली दिनांकः 13 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. (अ)- केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा और आगे निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का नाम सेनवेट क्रेडिट नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 है।

(2) ये नियम 23 अप्रैल, 2017 से लागू होंगे।

2. सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में-

(1) नियम 2 में, उपवाक्य (ट) में, "इनपुट" सेवा से अभिप्राय से शुरू होने वाले और "हटाए जाने के स्थान तक अंतिम उत्पाद की निकासी" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित को अंतस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"

"इनपुट सेवा से अभिप्राय"

(i) गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति को भारत से बाहर अवस्थित स्थान से भारत में स्थित निकासी के सीमाशुल्क स्टेशन पर समुद्री जहाज द्वारा वस्तुओं के परिवहन के माध्यम से दी गई सेवाओं अथवा दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की गई सेवाओं जिनमें सेवाकर का भुगतान के निर्माता अथवा निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा इन वस्तुओं के आयातक होने के नाते किया जाता है कि वह उक्त कर लगने योग्य सेवाओं के संबंध में सेवाकर अदा करने के लिए दायी व्यक्ति है तथा उक्त आयातित वस्तुएं उसकी आगत अथवा पूंजीगत वस्तुएं है; अथवा

(ii) निर्गत सेवा प्रदान किए जाने के लिए के निर्गत सेवा प्रदाता द्वारा प्रयोग की गई कोई भी सेवा; अथवा

(iii) निर्माता द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, हटाए जाने के स्थान तक अंतिम उत्पाद के निर्माता और अंतिम उत्पाद की निकासी के संबंध में प्रयोग की गई कोई भी सेवा,'

(2) नियम 4 में, उपनियम (7) के पश्चात, द्वितीय परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा, यथा-

"बशर्ते यह भी कि गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति को भारत से बाहर अवस्थित स्थान से भारत में स्थित निकासी के सीमाशुल्क स्टेशन पर समुद्री जहाज द्वारा वस्तुओं के परिवहन के माध्यम से दी गई सेवाओं अथवा दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की गई सेवाओं जिनमें सेवाकर का भुगतान निर्माता के अथवा निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा इन वस्तुओं के आयातक होने के नाते किया जाता है कि वह उक्त कर लगने योग्य सेवाओं के संबंध में सेवाकर अदा करने के लिए दायी व्यक्ति है तो सेवाकर अदा करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा अदा किए गए सेवाकर के क्रेडिट की अनुमति, ऐसे सेवाकर के अदा किए जाने पर की जाएगी;"

(3) नियम 9 में, उपनियम 1 में, खंड (ड.) के पश्चात, निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा, यथा-
"(ड.क) गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति को भारत से बाहर अवस्थित स्थान से भारत में स्थित निकासी के सीमाशुल्क स्टेशन पर समुद्री जहाज द्वारा वस्तुओं के परिवहन के माध्यम से दी गई सेवाओं अथवा दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की गई सेवाओं के संबंध में सेवाकर अदा किए जाने के लिए दायी व्यक्ति के रूप में वस्तुओं के आयातक होने के नाते निर्माता के अथवा निर्गत सेवाओं के प्रदाता द्वारा सेवाकर के भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला एक चालान; अथवा"

(फा०सं० 354/42/2016-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: प्रधान नियम दिनांक 10 सितंबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 23/2004-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप खंड-(i) में दिनांक 10 सितंबर, 2004 की सा.का.नि. सं 600(अ), के तहत प्रकाशित किए गए थे और इनमें दिनांक 2 फरवरी, 2017 को सा.का.नि.सं० 98(अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप खंड-(i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 4/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे), दिनांक 2 फरवरी, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।